[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 15 नवंबर, 2016

सा.का.नि. 1068(अ)--केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 285खक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर **(तीसवाँ** संशोधन**)** नियम, 2016 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 114ख में, सारणी में, क्रम सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

क्रम सं.	**संव्यवहार की प्रकृति**	**संव्यवहार का मूल्य**
(1)	(2)	(3)
"10	निम्नलिखित के पास जमा,-- (i) कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था सम्मिलित है) ; (ii) डाकघर	नकद जमा,-- (i) किसी एक दिन के दौरान पचास हजार रुपए से अधिक ; या (ii) 9 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की कालावधि के दौरान कुल मिलाकर दो लाख पचास हजार रुपए ; या

3. उक्त नियमों में, नियम 114ङ में,--

(i) उपनियम (2) में सारणी में क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

क्रम सं.	**संव्यवहार की प्रकृति और मूल्य**	**व्यक्ति का वर्ग (रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)**
(1)	(2)	(3)
"12	9 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की कालावधि के दौरान नकद जमा— (i) किसी व्यक्ति के एक या अधिक चालू खाते में बारह लाख पचास हजार रुपए या अधिक ; या (ii) किसी व्यक्ति के (चालू खाते से भिन्न) एक या अधिक खातों में दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक ।	(i) कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था सम्मिलित है) ; (ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथानिर्दिष्ट महा डाकपाल ।" ;

(ii) उपनियम (5) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु उपनियम (2) के अधीन सारणी में क्रम सं. 12 में सूचीबद्ध संव्यवहारों के संबंध में वित्तीय संव्यवहार की विवरणी 31 जनवरी, 2017 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ।"

अधिसूचना सं0 104/2016 (फा0सं0 370142/32/2016-टीपीएल)

(डा. टी.एस. मपवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं0 का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0.**3399**(अ), तारीख 7 नवंबर, 2016 द्वारा किया गया ।